30-9-14

न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 12/2013

पिरवत पासवान वनाम राज्य

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी पिरवत पासवान, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत– महिसरहो, प्रखण्ड– महिषी द्वारा उनकी जन वितरण प्रणाली दूकान की अनुज्ञप्ति संख्या– 51/2008 को अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 415–2 दिनांक– 22.11.2013 द्वारा रद्द किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा दिनांक– 18.11.2013 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महिषी एवं प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, महिषी के साथ अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली दूकान की जॉच की गयी, जिसमें निम्नांकित अनियमितताऐं पायी गयी है–

01. विक्रेता दुकान पर उपस्थित नहीं थे।
02. सूचनापट्ट भी संधारित नहीं था और न ही किसी प्रकार की सूचना सूचनापट्ट पर अंकित था।
03. बी0पी0एल0, अन्त्योदय योजना का भंडार पंजी एवं वितरण पंजी संधारित नहीं पाया गया।
04. माह जुलाई 2013 में बी0पी0एल0 150 परिवार का खाद्यान्न का उठाव किया गया एवं मात्र 125 भुगतानसुदा कूपन ही विक्रेता के पुत्र जो दुकान पर उपस्थित थे, के द्वारा प्रस्तत किया गया। वितरण पंजी पर 127 उपभोक्ताओं का नाम अंकित था, जिसमें 6 उपभोक्ताओं का प्राप्ति हस्ताक्षर नहीं पाया गया।
05. माह जुलाई 2013 में बी0पी0एल0 गेहूँ 116 भुगतानसुदा कूपन प्रस्तुत किया गया। शेष 34 लाभुकों को खाद्यान्न (गेहूँ) की आपूर्ति नहीं की गई, जबकि पंजी पर 119 लाभुकों का नाम दर्ज था।
06. माह जुलाई 2013 में अन्त्योदय योजना का 93 परिवारों का आवंटन उठाव के विरूद्ध मात्र 81 परिवारों का भुगतानसुदा कूपन प्रस्तुत किया गया, जबकि वितरण पंजी पर मात्र 76 उपभोक्ता का नाम अंकित था।
07. इसी प्रकार 13.02 क्वींटल गेहूँ का उठाव कर मात्र 75 भुगतानसुदा कूपन प्रस्तुत किया गया तथा वितरण पंजी में 77 परिवार का नाम अंकित था। माह अक्टूबर 2013 के किरासन तेल का कुल 281 परिवार का तेल उठाव के विरू मात्र 215 भुगतानसुदा कूपन प्रस्तुत किया गया, शेष 66 परिवार का कूपन प्रस्तुत नहीं किया गया।

08. वितरण पंजी पर मात्रा एवं दर अंकित नहीं पाया गया।

09. किरासन तेल माप–तौल उपकरण (बाट) का जाँच के क्रम में 250 मिली लीटर का माप नहीं पाया गया।

10. बी0पी0एल0 चावल वितरण पंजी के अवलोकन से माह मार्च एवं अप्रैल 2013 का वितरण अंकित नहीं था तथा वितरण पंजी के बीच–बीच में खाली पन्ना छोड़ दिया गया हुआ पाया गया।

11. उपस्थित उपभोक्ता श्रीमति रूआ देवी, पति– श्री अखिलेश पासवान बी0पी0एल0धारी कूपन संख्या– 033997 के द्वारा बयान दिया गया कि तीन कूपन पर 7 लीटर किरासन तेल दिया गया है। विगत 11 माह से खाद्यान्न नहीं मिला है । माह जनवरी 2013, फरवरी 2013, मई 2013, जून 2013, एवं माह जुलाई 2013 का कूपन उसके पास पाया गया। श्रीमति कौशल्या देवी, पति– श्री चन्द्रकिशोर सादा, मसो0 कोशल्या देवी, पति– स्व0 सहदेव सादा, श्रीमति दूरो देवी पति श्री देवनंदन पासवान, मसो0 रजिया देवी पति– स्व0 तेतर सादा, श्रीमति फुलदाय देवी पति श्री भरोसी सादा ने अपना बयान दिया कि विक्रेता द्वारा 2.50 लीटर 20 रूपया प्रति लीटर की दर से किरासन तेल दिया जाता है। श्रीमति तीरामेन देवी, पति– श्री दुखी पासवान के द्वारा बयान दिया गया कि बी0पी0एल0 चावल 14 किलो एवं गेहूँ 9 किलो दिया गया, जिसका कीमत 160 रूपये लिया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के बाद वे नियमित रूप से खाद्यान्न आदि का उठाव कर निर्धारित मात्रा में निर्धारित दर पर उपभोक्ताओं के बीच वितरण करते रहे हैं। दिनांक– 18.11.2013 को उप विकास आयुक्त कार्यालय में खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के लेखा पर अंकेक्षण कार्यक्रम निर्धारित था, जिसमें भाग लेने के लिए वे सहरसा चले गये थे तथा दुकान पर उनके पुत्र द्वारा उपभोक्ताओं को सामान दिया जा रहा था। गॉव के गन्दी राजनीति के कारण उनके विरूद्ध परिवाद–पत्र दिलाया गया था, जिसकी जॉच हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा साथ अन्य पदाधिकारियों को लेकर जॉच हेतु पहुँचे थे। जॉचोपरान्त अपीलार्थी से अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, सहरसा के ज्ञापांक 1831 दिनांक– 18.09.2013 द्वारा सपष्टीकरण की मांग की गयी। अपीलार्थी ने निर्धारित समय पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि जनता दरबार में अपीलार्थी के विरूद्ध दाखिल परिवाद पत्र पर श्री राजमिती पासवान, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहरसा से भी जॉच करायी गयी थी, जिसमें जॉच पदाधिकारी द्वारा कोई अनियमितता नहीं पायी गयी तथा जॉच पदाधिकारी ने दिनांक– 27.09.2013 को अपना जॉच प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को सौंप दिया था। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा उक्त जॉच प्रतिवेदन को भी नजर अंदाज कर दिया गया तथा अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर अपीलार्थी

को सुने बगैर अनुमण्डल पदाधिकारी ने अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। अन्ततः अपीलार्थी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक 415–2 दिनांक– 12.11.2013 द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की याचना की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 415–2 दिनांक 22.11.2013 का अवलोकन किया। अपीलार्थी पिरवत पासवान सूचना पट्ट संधारित नहीं करने, कार्य अवधि में दूकान पर उपस्थित नहीं रहने के दोषी है। अपीलार्थी द्वारा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण के दैनिक पंजी का संधारण नहीं किया जाता था। अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को 2.75 लीटर किरासन तेल के बदले 2.50 लीटर किरासन तेल दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा किरासन तेल 20.00 रू० प्रति लीटर की दर से 2.50 लीटर किरासन तेल एवं बी0पी0एल0 खाद्यान्न चावल 15.00 किलोग्राम के जगह 14.00 किलोग्राम तथा गेहूँ 10.00 किलोग्राम के जगह 09.00 किलोग्राम देकर 160.00 रूपया लिया गया। इससे स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम एवं निर्धारित दर से अधिक पर खाधान्न की आपूर्ति की गयी है।

उपरोक्त गंभीर अनियमितता बरतने के आरोप में अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के द्वारा रद्द की गयी है, जो प्रावधान के अनुरूप है।

अतः अपील आवेदन खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

30.9.14
जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक............................../जिला विधि, सहरसा, दिनांक– अक्टूबर, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

ज्ञापांक......1832–2/जिला विधि, सहरसा, दिनांक–07 अक्टूबर, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं सहरसा जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

04/10/14
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

4.10.14